

१९
५.३.२३
१

कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुशीनगर।

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 15385/2022/एडमिन. जी-1/इलाहाबाद दिनांकित 30.11.2022, पत्रांक संख्या 15907/2022/एडमिन. जी-1 सेवानिवृत्त/इलाहाबाद, दिनांकित 12 दिसम्बर 2022 एवं परिपत्र सं014/एडमिन.'डी' सेक्शन, दिनांकित 15.10.2022 के प्रकाश में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुशीनगरमें विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त जिला न्यायालय कर्मियों की पुनर्नियुक्ति की जानी है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुशीनगरमें पूर्व पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार द्वारा अपनी स्वेच्छा से कार्य मुक्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त पद अर्थात् सहायता लेखाकार के पद पर, जिला न्यायालय से सेवानिवृत्त ऐसे कर्मी की पुनर्नियुक्ति की जानी है, जिसने जनपद न्यायालय में बिल अनुभाग में कार्य किया हो तथा जिसे लेखा का अच्छा अनुभव रहा हो। पूर्व में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण या जिला कोषागार में कार्य कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारी को भी प्राथमिकता दी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुशीनगर में पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री मारकण्डेय सिंह, पेशकार भी अपनी नियमित सेवाएँ देने में असफल है। अधिकरण में उक्त कर्मचारी की उपस्थिति भी नियमित नहीं है तथा वह स्वयं भी कार्य करने के प्रति गंभीर नहीं है, उसके द्वारा स्वयं भी कार्य करने के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त की गई है, जिससे प्रस्तुतकर्ता के पद पर भी, जिला न्यायालय से सेवानिवृत्त ऐसे कर्मी की पुनर्नियुक्ति की जानी है, जिसने जनपद न्यायालय में कार्य किया हो तथा जिसे सिविल न्यायालय में कार्य करने का अच्छा अनुभव रहा हो। पूर्व में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में कार्य कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारी को भी प्राथमिकता दी जायेगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अन्तर्गत उक्त पदों पर पुनर्नियुक्ति हेतु जिला न्यायालय कर्मियों से, जिला न्यायालय कर्मियों के उपलब्ध न होने की दशा में अन्य सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त सक्षम एवं सभी अहताएँ रखने वाले कर्मियों से, निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

शर्तों एवं प्रतिबन्ध—

- 1- पुनर्नियुक्ति के दिनांक को सेवानिवृत्त कर्मी की आयु 65 वर्ष से अनधिक होनी चाहिये।
- 2- यह पुनर्नियुक्ति, नियुक्ति की तिथि से 01 वर्ष के लिए अथवा पदोन्नति या सीधी भर्ती से उक्त उपलब्ध रिक्तियों के भरे जाने तक अथवा पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मी के 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, जो पहले हो, तक के लिए की जाएगी।
- 3- माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुनर्नियुक्त कर्मी को परिलक्षियों के रूप में, अन्तिम आहरित वेतन से पेंशन की धनराशि घटाकर शेष प्रदान की जाएगी। अतएव आवेदक सेवानिवृत्त, कर्मी अपने आवेदन पत्र के साथ पेंशन प्राधिकार—पत्र/पी.पी.ओ. की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करेंगे।
- 4- यह पुनर्नियुक्ति, सेवानिवृत्त कर्मी के पूर्व कार्यवृत्त अभिलेख एवं चरित्र-पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के आधार पर की जाएगी। अतएव जिला न्यायालयों से सेवानिवृत्त आवेदक/सेवानिवृत्त कर्मी अपने आवेदन—पत्र के साथ पूर्ववर्ती 05 वर्षों में चरित्र-पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करेंगे।
- 5- इस पुनर्नियुक्ति हेतु, सेवानिवृत्त कर्मी अपने आवेदन—पत्र के साथ इस आशय का नोटरी शपथ—पत्र कि उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लम्बित नहीं है और न ही कभी उन्हें किसी आपराधिक मामले में दण्डित अथवा दोषमुक्त किया गया है, संलग्न करेंगे।
- 6- इस पुनर्नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त कर्मी अपना आवेदन—पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 18.03.2023 के सायंकाल 04.00 बजे तक कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुशीनगर को प्राप्त करा सकते हैं। निर्धारित दिनांक एवं समय के उपरान्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- 7- इस पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया अथवा पुनर्नियुक्ति पर अन्तिम निर्णय का अधिकार नियुक्त प्राधिकारी/पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुशीनगर को होगा।

(नोट:- माह मार्च 2023 में सेवानिवृत्त होने वाले न्यायालय कर्मी भी आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।)

इस विज्ञप्ति को सूचनार्थ जिला न्यायालय, कुशीनगर स्थान पड़रौना एवं बाह्य न्यायालय, कसया के सूचना-पट्ट तथा मो०दु०दा० अधिकरण के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाय।

दिनांक—04.03.2023

| (जमशैद अली)

पीठासीन अधिकारी,
नियुक्त प्राधिकारी/मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण, कुशीनगर।

पीठासीन अधिकारी

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण

प्रतिलिपि:-

- ✓ 1. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर, जजशिप कुशीनगर स्थान पड़रौना को माननीय उच्चीन्यायालय, इलाहाबाद की अधिकारिक वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
2. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।

दिनांक / कुशीनगर

04 मार्च 2023

| (जमशैद अली) 04.03.23

पीठासीन अधिकारी,

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
कुशीनगर, स्थान-पड़रौना।

पीठासीन अधिकारी

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
कुशीनगर

आवेदन का प्रारूप

पासपोर्ट साइज का
स्वहस्ताक्षरित नवीनतम
फोटोग्राफ चर्चा करें

पद हेतु आवेदन पत्र

- 1- आवेदक का नाम :
 2- पिता का नाम :
 3- जन्मतिथि :
 4- आवेदन के दिनांक को आयु :
 5- अन्तिम धारित पद एवं वेतनमान :
 6- सेवानिवृत्ति का दिनांक :
 (पैशन प्राधिकार-पत्र / पी.पी.ओ. की
 स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)
 7- स्थाई पता :

 8- पत्राचार का पता :
 9- ई-मेल आई.डी. :
 10- मोबाइल नम्बर :
 11- अन्य जिला न्यायालयों से सेवानिवृत्त :
 आवेदक की पूर्ववर्ती 05 वर्षों की वार्षिक
 गोपनीय प्रविष्टि का विवरण
 (स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)
 12- क्या किसी न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल
 टिप्पणी की गई है? यदि हॉ, तो विवरण
 (नोटरी शपथ-पत्र संलग्न करें)

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

घोषणा-पत्र

मैं, प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और दिये जाने वाले राजकीय कार्य को करने में सक्षम हूँ। मैंने आवेदन सम्बंधी सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अवलोकन कर लिया है, जो मुझे स्वीकार है। आवेदन में अंकित समस्त विवरण तथा संलग्नक सही एवं सत्य हैं तथा मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई सूचना गलत या झूठी पाई जाती है, तो उसका पूर्ण दायित्व मेरा होगा और इस सम्बंध में मेरे विरुद्ध की गई कोई कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी।

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)